उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

दीपावली त्योहार है रोशनी का प्रदूषण और धुंऐं का नहीं

पटाखों को कहें ना

पटाखों आदि के प्रस्फोटन से मानव एवं पशु-पक्षियों को प्रदूषण की गम्भीर समस्या उत्पन्न होती है, जिसका सीधा प्रभाव मानव मस्तिष्क, श्रवण शक्ति एवं पाचन तंत्र पर पड़ता है, जिससे घबराहट, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, तनाव, नींद में कमी, ब्लडप्रेशर, हृदय रोग, मानसिक क्षमता का ह्रास, दमा, अल्सर एवं बहरापन तथा श्वास संबंधी अन्य गंभीर रोगों के पैदा होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

अपील एवं सूचना

1 अत्यधिक शोर के पटाखों का प्रयोग न करें

प्रस्फोटन के बिंदु से 4 मीटर की दूरी पर 125 डीबी (एआई) या 145 डीबी (सी) पी. के. से अधिक शोर स्तर जनक पटाखों का विनिर्माण विक्रय या उपयोग प्रतिषिद्ध है।

2 शांत क्षेत्रों में पटाखे न चलाएँ

शांत क्षेत्रों में किसी भी समय पटाखों का प्रस्फोटन न करें। शांत क्षेत्र का आशय है अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित क्षेत्र के कम से कम 100 मी० त्रिज्यात्मक क्षेत्र।

3 बच्चों को प्रदूषण रहित दीपावली के लिये प्रेरित करें

प्रदेश के स्कूलों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, विद्यार्थियों को वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभावों के संबंध में शिक्षित करें।

4 ध्वनि जनित करने वाली आतिशबाजी एवं पटाखों का रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे के मध्य प्रयोग निषिद्ध है।

ध्यान रखें कि उपरोक्त वर्णित नियमों का उल्लंघन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों को 5 साल तक की सजा व 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।